

18/6/24 पत्रावली पेडा दुई वकील उप. प्रिडिनीय
 को पत्रावली अनेक अपाउ डेरे के बापडु 'भीकव
 ली डिजाया पठाव लेनु छिद्य पाउषी व वरी
 पाणीका वष्य पुनरे का निवेदन किया
 वकीलपाणी की वष्य दूरीगरे वष्य पट मन्त किया गया
 पत्रावली का प्रथम अवलोकन किया जाय अने उरी
 हीतरी की प्रथीक पाथी-पत स्वीकट किया पाएय

अः नेबवही निष्पि अकरा के निश्च पाल किकट
 शाकिल पत्रावली किया पाएय पत्रावली से पत शुक्र
 होकर इस्बिल इकरा ही

(Handwritten signature)

पत्रावली अनेक अपाउ डेरे के बापडु 'भीकव
 ली डिजाया पठाव लेनु छिद्य पाउषी व वरी
 पाणीका वष्य पुनरे का निवेदन किया
 वकीलपाणी की वष्य दूरीगरे वष्य पट मन्त किया गया
 पत्रावली का प्रथम अवलोकन किया जाय अने उरी
 हीतरी की प्रथीक पाथी-पत स्वीकट किया पाएय

(Handwritten mark)

पत्रावली अनेक अपाउ डेरे के बापडु 'भीकव
 ली डिजाया पठाव लेनु छिद्य पाउषी व वरी
 पाणीका वष्य पुनरे का निवेदन किया
 वकीलपाणी की वष्य दूरीगरे वष्य पट मन्त किया गया
 पत्रावली का प्रथम अवलोकन किया जाय अने उरी
 हीतरी की प्रथीक पाथी-पत स्वीकट किया पाएय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 107/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

रूग्नाथ बनाम अकबर वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री मांगीलाल जयपाल

निर्णय

दिनांक - 18/06/2024

प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 114 रकबा 3.4965 हैक्टर, किरम बा.सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोरा में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 114 रकबा 3.4965 हैक्टर, किरम बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रुबरु किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रुबरु विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उराकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/06/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(विरेन्द्रसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी

सेड़वा
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी	बनाम	विप्राथीगण
1. रुग्नाथ पुत्र काना जाति विश्णोई निवासी सोमराही हाल निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1 अकबर पुत्र हीरा 2 अमजद पुत्र तालब 3 आकैल पुत्र बुला 4 ईश पुत्र बुला 5 एरामी पत्नि सुलेमान पिता लखाना 6 रवाती पत्नि चनेसर पिता हीरा 7 खानबहादुर पुत्र तालब 8 जयदा पत्नि फोगा खन 9 घोधा पुत्र हीरा 10.फोगा पुत्र हीरा 11 बचन पुत्र सुलेमान 12 मखन पुत्र सुलेमान 13 महबूबखान पुत्र कमन 14 वजीरावानो पुत्री चनेसर 15 सिका पुत्र बुला 16. हसन पुत्र बुला 17. हाजीखान पु. कमन 18. हासी पत्नि ईब्राहिम जाति मुसलमान, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
		19 देराम पुत्र धना 20 मोहन पुत्र धना 21. सदराम पुत्र धना 22 मूलीदेवी पत्नि भारगलराम जाति विश्णोई, नि. पांचरला 23 सतबाई पत्नि लोगा जाति मुसलमान, नि. पांचरला 24. केहरा पुत्र चिमना 25. कातूराम पुत्र केवाराम 26. जोराराम पुत्र पूनमाराम 27. द्रोपे पत्नि पुनमा 28. पांचाराम पुत्र केवा 29. बेसरा पुत्र पूनमा 30.बादरा पु. ईसरा 31. राधादेवी पत्नि केवा 32. वगता पुत्र पुनमा जाति रवासी, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 33. जगराम पुत्र काना जाति विश्णोई निवासी पांचरला 34. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 107/2024

दिनांक : 18/06/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 114 रकबा 3.4965 हैक्टर, किरम बा.सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सममत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्राथीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमरद हेतु अधिकृत किया जाता है।



(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा (SDO) सेड़वा
दिनांक 20/06/2024

क्रमांक/भू.अ./2024/2169-63

प्रति लिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी रुग्नाथ पुत्र काना।
3. विप्राथीगण अकबर पुत्र हीरा वगैरा।
4. धानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा (SDO) सेड़वा